

“कोओं नहीं है गैर बाबा”

रजिं नं० बी ४४४  
लाइसेन्स नं० १५

# हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : मणिभाषी प्रभुदास देसाबो

भाग १७

अंक २३

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणी डाक्यामाली देसाबी  
नवजीवन, मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ८ अगस्त, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६  
विदेशमें रु० ८; शि० १४

## हिन्दी-अर्दूका सवाल

हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साथ तो मेरा संबंध सन् १९१८ से है, जब मैं पहली बार असका सभापति चुना गया था। अस समय मैंने राष्ट्रभाषा-संबंधी अपने विचार जनताके सामने रखे थे। सन् १९३५ में जब मैं दुबारा असका सभापति चुना गया, तो मेरे समझाने पर सम्मेलनने हिन्दीकी मेरी अिस व्याख्याको स्वीकार कर लिया कि हिन्दीसे मतलब अस जबान या बोलीसे है, जिसे अत्तरी हिन्दुस्तानके हिन्दू और मुसलमान आम तौर पर बोलते हैं और जो फारसी या देवनागरीमें लिखी जाती है। कुदरती तौर पर अिसका नतीजा यह होना चाहिये था कि सम्मेलनके सदस्य अिस नवीं परिभाषाके अनुसार हिन्दीका अपना ज्ञान बढ़ाते और अिस तरहका साहित्य तैयार करते, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों पढ़ सकते। अिसके लिये सम्मेलनके सदस्योंको सहज ही फारसी लिपि सीखनी पड़ती। मगर मालूम होता है, अन्होंने अपनेको अिस गौरवपूर्ण अधिकारसे वंचित रखना पसन्द किया है। सैर, अब भी कुछ बिंगड़ा नहीं — देर आयद, दुरस्त आयद। काश, वे अब भी जागें। बुन्हें अंजुमनकी राह नहीं देखनी चाहिये। अगर अंजुमन भी जागे और कुछ करे, तो बड़ी बात हो। क्या ही अच्छा हो कि दोनों संस्थायें आपसमें मिलकर और अकेले होकर काम करें। लेकिन मैंने तो दोनोंको अपने-अपने ढंगसे अलग-अलग काम करनेकी बात भी सुझाई है। मैं मानता हूँ कि अिस तरह जो भी संस्था मेरे बताये हुबे ढंग पर काम करेगी वह न सिर्फ अपनी भाषाको समृद्ध बनायेगी, बल्कि अधिकरमें एक औरी संयुक्त भाषाका निर्माण भी करेगी, जो सारे देशके काम आयेगी।

कमनसीबी तो यह है कि आज हिन्दी-अर्दूका सवाल एक कौमी झगड़ेका सवाल बन गया है। झगड़ेकी यह जड़ कट सकती है, बश्तें कि दोनों दलोंमें से कोई भी एक दल दूसरे दलकी भाषाको अपनाने और असमें जितना कुछ लेने लायक है, अस अदारतापूर्वक लेनेको तैयार ही जाय। याद रहे कि जो भाषा अपनी विशेषताकी रक्षा करते हुबे दूसरी भाषाओंसे खुलकर मदद लेती है, वह अपनी अिस, दुबार नीतिके कारण अंग्रेजीकी तरह समृद्ध बन सकती है।

(‘हरिजनसेवक’, २३-१-‘४२)

लेकिन क्या बुद्धि हिन्दीसे अतनी ही भिन्न है, जितनी बोलामराईसे? क्या अर्दू असी हिन्दीका नाम नहीं, जो फारसी लिपिमें लिखी जाती है और संस्कृतसे नये शब्द लेनेके बजाय फारसी या अरबीसे नये शब्द लेनेकी तबीयत रखती है? अगर हिन्दू और मुसलमानोंके बीच किसी तरहकी अनबन न होती, तो लोग अिस चीज़का खुशीसे स्वागत करते। जब आपसकी यह अदावत मिट जायगी, जैसा कि एक दिन अिसे मिटना ही है, तो हमारी

सन्तान हमारे बिन झगड़ों पर हंसेगी और अपनी अस संवाद्य भाषा हिन्दुस्तानी पर गर्व करेगी, जो असंख्य लेखकों और लोगों द्वारा अनकी अपनी आवश्यकता, रुचि और योग्यताके अनुसार कभी भाषाओंसे खुले दिलके साथ लिये गये शब्दोंके सुमेलसे बनायी जायगी।

(‘हरिजनसेवक’, ८-२-‘४२)

मो० क० गांधी

## निकम्मा शिक्षण

चांडिल-सम्मेलनमें जयप्रकाशजीने विद्यार्थियोंको सलाह दी कि अकेले सालके लिंबे कॉलेज वर्गे छोड़कर भूदान-यज्ञके काममें लग जाओ। अिस पर विद्यार्थियोंने मेरा मत पूछा। मैंने अनुसे कहा, “भूदान-यज्ञके आन्दोलनमें काम न करना हो तो भी विद्यार्थी कॉलेज छोड़ सकते हैं।” यह सुनकर विद्यार्थियोंको मजा आया।

## कॉलेजके बाहर ज्ञान-भंडार

सेंतीस साल पहलेकी बात है। कॉलेज छोड़कर ज्ञानकी खोजमें मैं बाहर निकला। कॉलेजमें और बहुतसी बातें दिखायी दीं, लेकिन ज्ञान नहीं दिखायी दिया। पर कॉलेज छोड़नेके बाद ज्ञानके अनंत द्वार खुल गये।

मेरी ज्ञानकी अपासना आज तक जारी है। ज्ञानके समान पवित्र और कुछ नहीं है, और वही ही मैं मानता आया हूँ। यिसलिए कॉलेजमें जो कालक्षेप होता था, असे मैं नहीं सह सका। विद्यार्थियोंसे मेरा हमेशा ही परिचय रहा है और पाठशालाओंमें क्याक्या सिखाया जाता है, अिसकी मैं हमेशा जांच-पड़ताल किया करता हूँ। सेंतीस साल पहले विद्यके नाम पर जो खाली हमें दिया जाता था, लंगभग असी नमूनेका खाली आज भी दिया जाता है। अस वक्त हमारा देश पराधीन था, आज स्वाधीन हो गया है। अिसने बड़े परिवर्तनसे भी स्कूलों, पाठशालाके, शिक्षणमें कोई अल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

## जड़कर्म

देशमें एक तरफ करोड़ों लोग जड़ कर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों विद्यार्थियोंको कर्म-शून्य मूँद शिक्षण दिया जा रहा है। हुक्माम और हुक्मी — सिर्फ हुक्म करनेवाले और सिर्फ हुक्म माननेवाले — अिस तरहके दो वर्ग बन गये हैं। दैन्य, दारिद्र्य और दुःखका सुकाल हो रहा है।

## मध्यमवर्गीय

एक जगह मध्यमवर्गकी तरफसे कुछ लोगोंने मेरे सामने शिकायत रखी। कहने लगे, “मध्यमवर्गकी हालत बहुत ही खराब है। अपरंपरके वर्गके पास पैसा है। नीचेके वर्गके पास कम-से-कम श्रम-शक्ति नहीं है। हमारे पास श्रम भी नहीं है और पैसों भी नहीं है। धरमें कमनेवाला बैकांध, खानेवाला कभी

हिसाबसे रहन-सहन रखनेकी आदत नहीं। रहन-सहनके हिसाबसे कमाओ और करनेकी गुजारिश नहीं। आप जिस प्रकार गरीबोंको जमीन देंगे, क्या अूस प्रकार हमें भी देंगे ? ” मैंने कहा, “ आपको जमीन देनेमें मुझे कुछ भी अड़चन नहीं, लेकिन आप लोगोंको जमीन लेनेमें अड़चन है। खेत पर आप खुद परिश्रम कर नहीं सकेंगे। फिर जमीनें आप किस तरह लेंगे ? जब तक वर्तमान शिक्षण नहीं बढ़लेगा, तब तक मध्यमवर्गियोंके दुख समाप्त नहीं होंगे।

“ठीक ज्ञानीर पनपनेके दिनोंमें यदि जाइ, हवा, धूप और वर्षा सहनेकी आदत न रही, तो विच्छा होने पर भी खेतमें परिश्रम कैसे होगा ? ”

विनोबा

### भारतकी गृहनीतिका क्या ?

भारतीय पाठकोंको यह जानना दिलचस्प मालूम हो सकता है कि पश्चिमका अेक नागरिक आज भारतको और दुनियाके काम-काजमें भारत जो भाग ले रहा है अूसको किस दृष्टिसे देखता है, और भविष्यमें भी वह जो भाग ले सकता है अूसके बारेमें क्या सोचता है।

ज्यादातर भारतीय शायद यिस बातको नहीं महसूस करते कि भारतके राजनीतिका विश्वकी राजनीतिमें क्या पार्ट अदा कर रहे हैं, पश्चिमकी गुटबंदीकी भूमिकामें अूनके विचार कितने आश्वर्य-जनक मालूम होते हैं और ये विचार कितनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं।

कुछ दिन पहले अेक प्रेस कान्फरेन्समें कोरियोके विषयमें पूछे गये अेक प्रश्नका जवाब देते हुओं श्री नेहरूने अेक बड़ी सादी बात कही थी कि हरअेक समस्याका शान्तिपूर्ण हल हो सकता है। अूस अूत्तरमें हम गांधीको फिरसे नेहरूमें मूर्तरूप लेते देखते हैं और यह लगातार हो रहा है। लेकिन यह अूत्तर अमेरिकाकी नीति और अधिकारियोंके मानसके खिलाफ जाता है — जिनका यह पक्का विश्वास है कि अमरीकी और रूसी जीवन-पद्धतिमें कोओी समझौता नहीं हो सकता; और यह कि जब तक साम्यवादका खात्मा नहीं कर दिया जाता या रूसको हरा नहीं दिया जाता, तब तक शीत-या गुण-युद्धकी नीतिका स्थान दूसरी कोओी नीति नहीं के सकती।

अमेरिका ज्यादासे ज्यादा अमीद सफल शीत-युद्धकी रखता है। लेकिन यिस शीत-युद्धने अनेक पश्चिमी राष्ट्रोंके सामने दिवालियेन और अमेरिका पर पूर्णरूपसे निर्भर रहनेका खतरा पैदा कर दिया है।

और अब आपके अपराष्टपति डॉ. राधाकृष्णन्, जो अमेरिकाका दौरा कर रहे हैं, हर तरहके सार्वजनिक अवसरों पर गांधीवादी तत्त्वज्ञानका बुलारतासे लोगोंको रसपान करा रहे हैं। अूस दिन अपनी विदाओंके समय अून्होंने केनाडाके लोगोंसे रैंडियो पर जो बात की, अूसमें अेक बड़ा सच्चा लेकिन अपरिज्ञित सिद्धान्त था। अूसके कुछ हिस्से में यहां देता हूँ :

“आज हमारा ध्येय तीसरे युद्धमें सैनिक विजय नहीं, बल्कि लोगोंके मानसको बदलनेके लिये धैर्यके साथ किया जानेवाला समझदारीभरा राजनीतिक कार्य होना चाहिये . . . ।

“राजनीतिक गुटबंदीमें हमारा विश्वास नहीं है। युद्ध समस्याओंको हल नहीं करता, बल्कि अधिक समस्यायें पैदा करता है। हम शान्तिकी राजनीतिमें विश्वास करते हैं और न्याय पर खड़ी शान्तिमें विश्वास रखते हैं। युद्ध किसी अच्छे साध्यका दूरा साधन नहीं है। वह अपने आपमें ही बुरी चीज है। वह विजेता और पराजित दोनोंको परेशान कर देता है। राजनीतिक कार्यका सही ध्येय हमारे शत्रुओंका नाश नहीं, बल्कि अून्हें शिक्षा देना, अूनकी वृत्तियों और व्यवहार पर प्रभाव ढालकर अूनका हृदय-परिवर्तन करना है। . . .

“हमें आज अमरीकी या रूसी जीवन-पद्धति नहीं, मानवीय जीवन-पद्धति चाहिये। विज्ञानने हमें पृथ्वी-तलसे भूख और गरीबीकी विपत्ति निःशेष कर सकनेकी शक्ति दे दी है। दुनियाके जो देश कम्युनिस्ट प्रभावके बाहर हैं, यदि हम वहां सुख और समृद्धिकी मजबूत स्थापना कर दें, तो शांतिकी सभावना और आशा बढ़ जायगी।

“आज अेक विश्व-व्यापी कान्ति चल रही है, और यह कान्ति स्वतंत्र लूपसे चल रही है; अूसके पीछे कम्युनिज्मकी प्रेरणा नहीं है। गैर-कम्युनिस्ट देशोंमें अधिकांश देशोंके निवासी रोग, भूख और अवशाका कष्ट अूठाते आये हैं; अब वे आर्थिक विकासकी मांग कर रहे हैं।

“हम लोगोंने खुद राजनीतिक और आर्थिक शोषणका कष्ट भोगा है। स्वभावतः हमारी अूनसे सहानुभूति है, जो गुलामीसे मुक्त होनेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

“अगर हम देखते हैं कि दुनियाके वे शक्तिशाली देश, जो संयुक्त-राष्ट्र-संघमें प्रमुखताका स्थान रखते हैं, राष्ट्र-संघके चार्टरमें अल्लिखित आदर्शोंका पूरा निर्वाह नहीं करते, शान्ति और स्थिरताकी ओटमें भौजूदा स्थितिको ही कायम रखनेकी कोशिश करते हैं, अगर हमें मालूम होता है कि अूनकी यिस कोशिशके पीछे स्वार्थकी भावना है, तो हमें बहुत दुःख होता है। शक्ति और प्रभुता मनुष्यको पतनकी तरफ प्रेरित करती है, लेकिन विवेकबुद्धि और अंतरात्माकी प्रेरणा अूसका अद्वारा करती है। हमें चाहिये कि हम अपनी समझके अनुसार दूसरोंमें दिखनेवाले राक्षसके खिलाफ न जूझकर, अपने अन्दर बसनेवाले भगवानको प्रगट करनेमें ही अपनी शक्ति लगायें।”

पश्चिममें आज अैसे हजारों लोग हैं, जो यिन सारे अद्वारोंका समर्थन करते हैं। यिन अद्वारोंकी विशेषता यिस बातमें है कि वे अेक राज्यके अेक बड़े अधिकारी द्वारा कहे गये हैं — अेक अैसे राज्यके जो दुनियाके राजनीतिक क्षितिज पर विशेष चमकके साथ प्रगट हो रहा है। कोओी भी जिम्मेदार पश्चिमी राज्याधिकारी अैसा नहीं बोलेगा। लेकिन संयुक्त-राष्ट्र-संघ आज यिस दलदलमें फैस गया है, अूससे निकलनेका रास्ता तो यही है। भारत अगर अपनी आवाजका बल यिसी रास्तेके पक्षमें और ज्यादा लगाता जाय, तो संभव है कि दुनिया तीसरे विश्व-युद्धके संकटसे बच जाय।

लेकिन यिस संबंधमें यह सबाल जरूर अूठाता है कि भारतकी गृह-नीति कैसी हो ? भारत आज अेक संक्रान्तिकी अवस्थासे गुजर रहा है। अैसे भौके पर यह याद रखना चाहिये कि आखिर किसी देशकी विदेश नीति अूसकी गृह-नीतिसे निर्भरित होती है। पश्चिममें चलनेवाली सत्ताकी राजनीति अूसकी आक्रामक आर्थिक नीतिसे, दुनियाके बाजारों और साधन-संपत्ति पर अपना अकाधिकार चाहनेकी अिंच्छासे अत्यन्त हुओी थी। आज पूर्वमें और रंगीन जातियोंके देशोंमें जो जागृतिकी लहर आयी है, अूसने पश्चिमकी आक्रामक आर्थिक नीतिसे विश्वास करनेकी प्रेरणा पैदा की है।

मुझे लगता है भारत आज यिस सोच-विचारमें पड़ा हुआ है कि किस रास्तेका चुनाव किया जाय। अूसके सामने अेक दूसरेकी विरोधी दो जीवन-पद्धतियां और अूनके अनुसार दो तरहकी अर्थ-नीतियां हैं — पश्चिमकी अर्थनीति और जीवन-पद्धति, और गांधीजीकी वतलायी अर्थनीति और जीवन-पद्धति; और वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि यिनमें से किसे चुने। अगर वह पश्चिमके रास्ते पर चलता है तो अूसका वही हाल होगा जो पश्चिमी देशोंका हुआ है; अर्थात् वह विनाशकारी सैन्यवादके चंगलमें फैसकर अपनी

गति खो बैठेगा। तब अुसे पश्चिमी देशोंकी तरह अपने आर्थिक सघटनके टूटनेका भय सतायेगा; विभिन्न राजनीतिक वादोंकी अुलझनमें फसना होगा, और आजकलके व्यापक युद्धोंमें हिस्सा लेनेका खतरा अुठाना होगा। लेकिन अगर व्रह संपूर्ण मनसे गांधीजीका बताया रास्ता अपनावे, तो मेरा विश्वास है कि वह धीरे-धीरे नीतिके क्षेत्रमें और अर्थके क्षेत्रमें भी दुनियाके देशोंका नेता बन सकेगा।

हमारी पश्चिमी और आपकी पूर्वी सभ्यता, दोनों ही आज बीमार हैं, दोनोंकी अपनी विशेष कमज़ोरियां हैं जिनके कारण वे प्रगतिहीन हो गयी हैं; और अब हमारी समझमें आ रहा है कि दोनोंका अिलाज करीब-करीब एक ही है। हम दोनोंको ही शक्ति और सत्ताको बढ़ानेवाली या आक्रामक अर्थनीति नहीं चाहिये, हमें चाहिये मानवीय अर्थनीति — एक ऐसी रचना जो मनुष्यके संपूर्ण विकासकी व्यवस्था करे, पास-पास रहनेवाले पड़ोसी देशों और मनुष्य-समृद्धायोंमें सहयोगकी वृत्ति पैदा करे, जो केवल धन-संपत्ति और सुख-सुविधाकी वस्तुओंके निर्माणमें न लगी रहे, बल्कि मनुष्योंका — पुरुषों और स्त्रियोंका निर्माण भी करे। जीवन रोटीसे ज्यादा बड़ा है, और समृद्धिका अर्थ वस्तुओंकी विपुलता नहीं; वह है मनुष्यकी सर्जन-मूलक आत्म-अभिव्यक्ति, पड़ोसियोंके साथ प्रेमपूर्वक रहनेका आनन्द। अुसमें सुख-सुविधाकी भौतिक वस्तुओंका भी समावेश होता है, लेकिन जितनी पर्याप्त हों, अुससे अधिक नहीं; विलासिता तो नहीं ही होनी चाहिये। क्योंकि वह शरीर और आत्मा दोनोंको मारती है। पश्चिमी अर्थ-रचना, जिन सब मूल्योंकी कोशी कीमत नहीं करती, अुसका लक्ष्य मुनाफा और वस्तुओंकी विपुलता पर ही केन्द्रित है। वह प्राणहीन वस्तुओंके ढेर लगाती रहती है और मनुष्यको मरीनमें जोत, अुसे मरीन जैसा ही बनाकर अुसकी आत्माका तिरस्कार करती है। तो हम दोनों गोलाधोंके निवासियोंका अुद्देश्य एक ही है और वह भी निश्चित है कि या तो दुनियाको विस अुद्देश्यकी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये, या अुसका विनाश हो जायगा।

### दिल्फेड वेलाँक

[ सर्वोदय, तिरुपुर, जुलाई १९५३ से संक्षिप्त रूपमें अद्वृत् ]  
(अंग्रेजीसे)

### गरीबोंका खयाल करो

एक ग्रामसेवक बड़े दुखके साथ लिखते हैं:—

“भारतके सामने आज अनेक पेचीदा सवाल मुहूं फैला कर रहे हैं, जिनमें महत्वके हैं अन्धकी कमी, बेकारीका भूत, और खरीदशक्तिका ह्रास बगैरा। अिनका मुकाबला करनेका खयाल कोशी नहीं करता। सुशिक्षित समाजका ध्यान विस और बहुत कम मालूम होता है। और जिन चीजोंका राष्ट्र-हितकी दृष्टिसे बहुत कम मूल्य है, अनुके पीछे हम पागल बनकर दौड़ते हैं। क्रिटिकी प्रतियोगितायें, अमरीकी ढंगकी कुशित्यां, अभिभूत लोकसभायें, व्याख्यान-मालायें, छोटी बच्चियोंकी सिनेमा नृत्य-स्पर्धयें और अब चल रहा है अवरेस्ट विजयका दौरदौरा। क्या यही हमारे सामने महत्वके सवाल हैं? क्या अिनके पीछे वितना पागल बन जाना हमारे लिये शोभाकी बात है? अिन चीजोंसे देशकी प्रगतिमें क्या वृद्धि होती है? यह मुझ जैसा गंवार आदमी समझ नहीं पाता।”

पत्रलेखकका दुख सही है। हमारे अूपरके लोगोंको चाहिये कि वे गरीबोंका खयाल रखें और अपनी ही आपाधापी या अैश-आराममें न फेंस जायें। विससे राष्ट्रका पतन होगा।

२३-७-'५३

म० ४०

### क्या यह टाला नहीं जा सकता था?

आशा की जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिकाकी कांग्रेस प्रेसिडेन्ट अभिसनहोवर द्वारा पेश की गयी विस योजनाको शीघ्र स्वीकृति दे देगी कि कोरियाकी लड़ाईकी जरूरतें पूरी करनेके लिये पहले जो रकम निर्धारित की गयी थी, अुसके अेक हिस्सेसे लड़ाईके बाद अब कोरियाका पुनर्निर्माण शुरू किया जाय। अुन्होंने यह सुझाव रखा था कि अुन १२० करोड़ डालरमें से, जो एक साल और लड़ाईमें भाग लेने पर अमेरिकाको खर्च करने पड़ते, विस कामके लिये शुरूमें २० करोड़ डालरकी रकम दे दी जाय।

अमेरिकन कांग्रेसको दिये हुये अपने सन्देशमें प्रेसिडेन्टने कोरियाके लोगोंकी करण स्थितिका अिन शब्दोंमें वर्णन किया था:

“विस लड़ाईमें कोरियाके लोगोंकी जो बरबादी हुयी और अुसकी सारी अर्थरचना जिस तरह टूटकर नष्ट हो गयी, वह भयंकर है। १९५० में जब लड़ाई शुरू हुयी, तबसे लेकर अब तक दक्षिणी कोरियाके १० लाख अृदमी मारे जा चुके हैं। २५ लाखसे ज्यादा बेघरबार और निराशित बन गये हैं। ५० लाख आदमी जीवित रहनेके लिये पूरी तरह या अंशतः राहत पर निर्भर करते हैं। जायदादकी बरबादी १०० करोड़ डालरसे अूपर पहुंच गयी है। यह आर्थिक नाश अत्यन्त भयंकर कहा जायगा . . . . ।”

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघके अेक अधिकारीने कोरियाकी वर्यनीय हालतका ज्यादा विस्तारसे नीचेके शब्दोंमें वर्णन किया है:

“धानके खेतों, खदानों और कारखानोंको, जो अेक समय कोरियाकी जनताके जीवन-निवाहिके साधन थे, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुद्राप्रसारके कारण सारा अर्थतंत्र खतरेमें पड़ गया है और औसत कोरियन भयंकर गरीबीका शिकार हो गया है।

“लड़ाईमें नागरिक हताहतोंकी संख्या ही हजारों-लाखों तक पहुंच गयी है। लाखों लोग बेघरबार हो गये हैं। असंख्य बच्चे अनाथ बन गये हैं। बहुत बड़ी संख्यामें परिवारके परिवार मार डाले गये या अेक दूसरेसे बिछुड़ गये हैं।

“कोरियन गणतंत्रके लोगोंकी मौजूदा जरूरतें पूरी करनेके लिये लगभग ९,००,००० मकान खड़े करने होंगे। करीब ४,००,००० मकान पूरी तरह नष्ट हो गये हैं, जिनकी जगह नये मकान बनाने होंगे। फिर अुत्तरी कोरियनके निराश्रितोंको रखनेके लिये भी मकानोंकी जरूरत होगी।

“शिक्षण-पद्धति तथा डाक्टरी और समाज-कल्याणके कामोंकी — जिनमें अनाथों और बूढ़ोंकी देखभाल करनेवाली संस्थायें भी शामिल हैं — नये सिरेसे पुनर्निर्माण करनी होगी। निराश्रितोंको फिरसे बसानेकी और हजारों-लाखों अपंगोंके पालन-पोषणकी बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी है। यहां तक कि खुद सरकारके लिये भी अिमारतोंकी जरूरत है, जहां बैठकर वह अपना काम कर सके।”

यह जानकर खुशी होती है कि लड़ाईके घावोंसे धराशायी बने हुये कोरियाको, नया जीवन देनेके लिये जीवन-न्यायी प्राण-वायुके डालर-अिन्जेक्शन दिये जा रहे हैं। लेकिन विससे भी ज्यादा गहरा सवाल तो यह है कि हम किसीको ऐसी निर्दयता और अमानुषिकतासे धराशायी क्यों बनावें? क्या यह जरूरी है कि पहले तो हम निर्दोष मानवता पर कठोर प्रहार करें और फिर अुसकी मरहम-पट्टीका प्रबंध करें? क्या अैसा करना सचमुच मुश्वरा नहीं है? क्या यह सचमुच अनिवार्य था?

३०-७-'५३  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाभी देसाभी

# हरिजनसेवक

८ अगस्त

१९५३

## “कोओ नहीं हैं गंर बाबा”

बुत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अध्यक्ष डॉ बाबूराम सक्सेनाने अर्दूको प्रादेशिक भाषा स्वीकार करनेके विरुद्ध दिये अपने अेक अखबारी बयानमें मेरे विषयमें नीचेके शब्दोंमें अलेख किया है। अुसमें अनुकी दृष्टिसे मेरा यह दोष हुआ लगता है कि मैंने ‘हरिजन’ पत्रोंमें ‘सेवजनक निर्णय’ नामक लेख लिखकर अुत्तर-प्रदेशमें राष्ट्रभाषा और हिन्दी-अर्दूके बारेमें चल रहे झगड़ेके सम्बन्धमें कुछ कहा है। अुस लेखमें मैंने जो कुछ कहा है, वह सच पूछा जाय तो यिन पत्रोंके पाठकोंके लिये किसी तरह नया नहीं है। तत्त्वतः वह बात गांधीजी यिन पत्रोंमें हमेशा कहते रहते थे। अुसी परसे आजकी परिस्थितिमें जो बात अनुचित हो सकती है, वह सार रूपमें मैंने पेश की है। संभव है अैसा करनेमें मेरी कुछ भूल हुजी हो; वह मुझे बतायी जा सकती है। लेकिन डॉ सक्सेनाने अैसा नहीं किया।

यह साफ है कि मेरा वह लेख डॉ सक्सेनाको पसन्द नहीं आया। यदि मैं कहूँ कि यिसमें कोओ आश्चर्य नहीं, तो वे मुझे माफ करेंगे। क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलनको भी गांधीजीकी यह बात पसन्द नहीं थी। अुसी कारणसे सन् १९४०-४२ के बाद गांधीजीको वह संस्था छोड़नी पड़ी थी और राष्ट्रभाषाके बारेमें सही विचार पेश करने और अुसे आगे बढ़ानेके लिये नभी संस्था बनानी पड़ी थी। लेकिन यह आशा रखी जाती थी कि संविधान बनाते समय यिस सारी बातका और राष्ट्रकी भाषा-संबंधी समग्र नीतिके बारेमें जो संतोषजनक हल निकाला गया था, अुसका हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्वागत करेगा। लेकिन अुसने वह नीति स्वीकार नहीं की और अपनी पुरानी नीतिके मुताबिक वर्धा समितिके जरिये प्रचार-कार्य जारी रखा। बम्बली सरकारका ध्यान यिस तरफ गया और अुसने वर्धी समितिके प्रचार-कार्यको प्रमाणित नहीं किया। बम्बली सरकारके यिस कदमकी सचाईके बारेमें अगर अभी भी किसी प्रमाणकी जरूरत हो, तो डॉ सक्सेनाका अपर्युक्त वक्तव्य अुसका एक सबल प्रमाण कहा जा सकता है। अुसमें वे मेरे विषयमें कहते हैं:

“जो लोग अुत्तर भारतके नहीं हैं और यिस कारणसे जिन्होंने (हिन्दी-अर्दू) के झगड़ेके फल नहीं चखे हैं, अनुहृत सच्ची स्थितिका ख्याल नहीं है। ‘हरिजन’ पत्रोंके संपादक श्री भगनभाबी देसाजी यिसी वर्गके आदमी हैं..... श्री देसाजी जैसे कार्यकर्ताओंने बहुजन समुदायकी समझमें न आनेवाले शब्दों और लिपिमें निकलेवाले समन्वयों या पुलिसकी रिपोर्टोंकी पीड़ा नहीं, भोगी है।”  
(लीडर, २६-७-'५३ की रिपोर्टमें से)

यह सच है कि मैं अुत्तर भारतका नहीं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि भारतके सारे प्रदेशोंमें अदालतोंके समन्वय और पुलिसकी रिपोर्ट, फले वे किसी भी भाषा या लिपिमें हों, ८० फी सदी से अपर लोगोंके समझमें नहीं आती। और बाकीके जो लोग हैं, अुनमें से अुत्तर प्रदेशमें जो नागरी जानते हैं अनुहृत अर्दू लिपि अनुकूल नहीं पढ़ती और जो अर्दू लिपि जानते हैं अनुहृत नागरी अनुकूल नहीं पढ़ती। बीर यही कारण है कि अुत्तर प्रदेशमें लाखों आदियोंने दोनों लिपियां सीख ली हैं। गांधीजी कहते थे कि यिससे लोगोंको लाभ होगा।

और यह कहना भी ठीक नहीं है कि हिन्दी-अर्दूके झगड़ेसे केवल अुत्तर भारतको ही पीड़ा भोगनी पड़ी। अुत्तर प्रदेशमें सुलगते रहे सम्बद्धायवादके यिस झगड़ेने सारे देशको जलाया है। अुस झगड़ेको मिटानके लिये गांधीजीने १९१८ से भाषाके क्षेत्रमें जो अथक प्रयत्न किये, अनुमें मैंने थोड़ा हिस्सा लिया है, यिस-लिये मुझे अुसकी पीड़ीका अनुभव है। वह झगड़ा आज भी अुत्तर प्रदेशमें शान्त नहीं हुआ, यह देशका बड़ा दुर्भाग्य है।

गांधीजीके अुस प्रयत्नका रहस्य न समझनेसे सारे देशको कितनी भुसीवतें सही पड़ीं, यह सब कोओ जानते हैं। क्या आज भी अुस जहरको ताजा बनाये रखना है? सच बात तो यह है कि अब अुस जहरको शान्त करना चाहिये और फिरसे अुस पीड़ीको पैदा नहीं होने देना चाहिये। श्री सक्सेना जैसे अुत्तर प्रदेशके हिन्दी-भक्त यिस पर विचार करें, अैसी मेरी अुनसे नम्र प्रायंना है।

और देशके लिये अेक राष्ट्रभाषाके विचारके बारेमें श्री सक्सेना मुझे यह याद दिलावें कि मैं अुत्तर भारतका नहीं हूँ, यह कैसी बात है? अनुहोने यदि पूनाकी अखिल भारतीय भाषा विकास परिषद्का प्रस्ताव देखा हो ('हरिजनसेवक', २७-६-'५३), तो अुसमें अनुहोने पढ़ा होगा:

“संविधानके आदेशके अनुसार भारतीय संघकी राज-भाषाका विकास करना भारतकी सारी भाषायें बोलनेवालोंका समान कार्य है। ..... वह मूल भाषाकी प्रकृति और प्रतिभाके अनुरूप होगी।”

श्री सक्सेना अुत्तर प्रदेशकी अपनी अेक खास शैलीकी हिन्दीको वहांकी प्रादेशिक भाषा रखना चाहें, तो खुशीसे अैसा कर सकते हैं। लेकिन अुसी कारणसे अुसकी दूसरी शैली अर्दूको भी वहांकी प्रादेशिक भाषा बननेका हक्क है, यह अनुहृत स्वीकार करना चाहिये; और अुसमें राष्ट्रभाषाके विकासका हित होनेके कारण अुत्तर भारतके बाहरके लोगोंकी भी अुसमें दिलचस्पी है।

और हिन्दीसे भिन्न अर्दू भाषा भारतके संविधानकी आठवीं सूचीमें जो गिनायी गयी है, वह किस लिये? अुसका क्या कारण है? यिसका अर्थ भी समझना चाहिये।

फिर अगर हिन्दी-अर्दूमें भेद सिर्फ शब्दभंडार और लिपिका ही हो, तो यह कौन यितना बड़ा भेद है कि यिसकी वजहसे अर्दूको पराओ और विदेशी संस्कृतिकी भाषा माना और मरवाया जाता है? हम अंग्रेजी भाषाके विकाससे जानते हैं कि भाषाके विकासके लिये शब्द तो सारी दुनियासे लिये जा सकते हैं। यह तो शायद ही कोओ कहेंगे कि हिन्दीका यिस सरह विकास नहीं होना चाहिये। बल्कि हिन्दी भाषाने तो अैसा केवल शब्दोंके संबंधमें ही नहीं, समग्र जीवन और संस्कृतिके संबंधमें भी हमें सिखाया है कि:

“कोओ नहीं है गंर बाबा  
कोओ नहीं है गंर।”

\* \* \*

“ना कोओ बैरी नाहिं बिगाना,  
सकल संगि हम कौ बनि आवी।”

महान संस्कृति और भाषाके यिस सदेशको अुत्तर भारत कैसे भूल सकता है? श्री सक्सेना जैसे मित्रोंसे मेरा निवेदन है कि वे यिस महान संस्कृतिको हमेशा याद रखें, क्योंकि हम सब अुसकी सन्तान हैं।

३-८-'५३  
(गुजरातीसे)

भगवत्भाबी देसाजी

## अन्तर प्रदेशका भाषा-संबंधी विवाद

गये महीनेमें पंडित नेहरू दो-चार दिनके लिये अपने घरके प्रान्तमें — अन्तर प्रदेशमें थे। वहां अनुके कभी व्याख्यान हुआ, जिनमें अन्होंने आजकल चलनेवाले विविध सवालोंकी चर्चा की। यिनमें से एक सवाल भाषा पर चलनेवाले विवादका भी था। अस पर दो बार वे बोले। अन्होंने जो कुछ कहा असकी रिपोर्ट हम ‘नेशनल हैराल्ड’, लखनऊ, ता० १९-७-'५३ के अंकसे यहां अद्वृत करते हैं:—

ता० १८ जुलाईको अलाहाबादमें कायस्थ पाठशालाके मैदानमें एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए पंडित नेहरूने कहा कि कभी लोगोंको अभी तक आजादीका सही अर्थ ही समझमें नहीं आता और वे देशको जहांका तहां पीछे घसीट ले जाना चाहते हैं। यिस सिलसिलेमें अन्होंने भाषाके सवालका जिक्र किया और कहा कि जनताके किसी भी समुदायकी भाषा या संस्कृतिको दबानेकी कोशिश करना अनुचित है। अन्होंने कहा कि अर्दू कोभी पाकिस्तानकी भाषा नहीं है और असकी अुपेक्षा और अवज्ञा करना हमारे गौरवके अनुकूल नहीं होगा।

आगे बोलते हुए पंडित नेहरूने कहा कि भाषामें देशकी सांस्कृतिक संपत्ति निहित होती है। हम लोगोंने निर्णय किया है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और असके यिस पदके अनुकूल हम असे एक शक्तिशाली भाषा बनायेंगे। लेकिन साथ ही हमें प्रान्तीय भाषाओंको, जिनका साहित्य काफी समृद्ध है, विकासका समान अवसर देना चाहिये। भाषाका विकास कानून यास करके नहीं किया जा सकता, असके लिये असी कोटिकी संभाल और सावधानी चाहिये, जो नहीं पीषकी रक्षाके लिये जरूरी होती है।

असी दिन आनन्द-भवनमें कांग्रेस-कार्यकर्ताओंको भाषण देते हुए अन्होंने कहा:

“हम एक विशाल देशके निवासी हैं जिसमें अनेक प्रदेश हैं, विविध भाषायें हैं, और रहन-सहनकी अलग-अलग रीतियां हैं। एक-दूसरेके प्रति यदि हम सहिष्णुताका भाव न रखें तो हम गिरेंगे। सामाजिक सवालों पर या भाषाके विषयमें हमें अपना मत दूसरों पर लादनेका आग्रह नहीं रखना चाहिये।”

अन्होंने आगे कहा, “अर्दूका हिन्दीकी प्रतियोगिता करनेका सवाल नहीं है। लेकिन अर्दूको दबानेका या किसी तरह असका विकास रोकनेका भी कोभी सवाल नहीं होना चाहिये। सच बात तो यह है कि हिन्दीके साथ-साथ हमें दूसरी भाषाओंको भी समृद्ध करना है। अर्दूको हर तरहका प्रोत्साहन मिलता चाहिये, ताकि वह बढ़ सके।”

‘नेशनल हैराल्ड’ ने यिन भाषणोंके प्रसंगमें यिस सवाल पर अपने संपादकीय लेखमें निम्न-लिखित विचार प्रगट किये हैं:—

“एक महत्वपूर्ण सवाल यिसकी कांग्रेस-अध्यक्षने विशेष चर्चा की अर्दूकी स्थितिके विषयमें है, यिस पर अन्तर प्रदेशमें जब तब, कुछ विवाद चलता रहता है। यह विवाद बड़े और अवांछनीय रूप ग्रहण करे, असके पूर्व बहुत अच्छा होगा कि हिन्दी-प्रेमी और अर्दू-प्रेमी दोनों ही यिस सवाल पर अनु मुद्दोंको व्यानमें रखकर विचार करें, यिन पर कांग्रेस-अध्यक्षने अपने भाषणोंमें काफी और दिया है।

“पहला मुद्दा यह है कि हिन्दी हमारी संघ-भाषा होगी और यिस रूपमें असे सारे देशकी मान्यता मिलेगी। तो यिस अर्थमें राष्ट्रीय भाषाकी तरह हिन्दीकी जो विशेष स्थिति है, असकी प्रतियोगिता कोभी दूसरी भाषा नहीं कर सकती, यह बिलकुल निश्चित है। यिस हिन्दीके रूप और शैलीकी चर्चा करनेकी

अभी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी असका निर्माण बितना नहीं हुआ है कि असका विचार किया जाय।

“दूसरा मुद्दा यह है कि हमारा संविधान जिन भाषाओंको मान्य करता है, अन्नमें से किसी भाषाको बोलने-समझनेवाले जहां काफी संख्यामें हैं, फिर वह जिस-किसी भाषाका लेत्र हो, वहां अन्त भाषा-भाषियोंके लिये कुछ सुविधाओंकी व्यवस्था जरूर करना चाहिये।

“तीसरा मुद्दा यह है कि अन्तर प्रदेश जैसे प्रान्तमें अर्दूके अधिकारको अकेदम अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यिसके सिवा दूसरे देशोंके, खासकर मध्य-पूर्वके देशोंके साथ हमारे जो संबंध हैं अनुकी दृष्टिये भी अर्दू भाषा और लिपिका एक खास महत्व है।

“अगर यिस सवाल पर अपर कहे गये मुद्दोंको ध्यानमें रखकर विचार किया जाय, तो असके अपयोगी परिणाम आ सकते हैं। अभी तक हमारी राज्य सरकारने कभी बार की गयी यिस शिक्षायतका कोभी जवाब नहीं दिया है कि स्कूलोंमें कभी जगह अर्दूको असके स्थानसे हटा दिया गया है या कि असके शिक्षणकी सुविधायें वापस ले ली गयी हैं; और यह देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि यिस तरहकी शिक्षायतका अितने दिन तक कोभी जवाब नहीं दिया गया है। शीघ्र ही एक अर्दू-कान्फरेंस होनेवाली है। असका अहंशय भामूली ही है, यद्यपि यह देखना है कि असकी मांगें ठीक क्या होंगी। यिस प्रश्न पर विचार करनेमें एक गडबड़ तो ‘राज्य-भाषा’, ‘प्रादेशिक भाषा’ जैसे अनिश्चित शब्द-प्रयोगोंके व्यवहारसे होती है। अंसे प्रयोगोंसे बचना चाहिये। और फिर अस पर तक-शुद्ध विचार होना चाहिये। कांग्रेस-अध्यक्षका मत सुन चुकनेके बाद अब कांग्रेसियोंको यिस विवादमें सही नेतृत्व कर सकना चाहिये।”

यिस संपादकीयमें एक मुख्य मुद्दा यह पेश किया गया है कि राष्ट्रीय भाषाके रूपमें हिन्दीकी स्थिति अद्वितीय है। और जैसा पण्डितजीने कहा है, अर्दू या किसी दूसरी भाषाका असके साथ प्रतियोगिता करनेका कोभी सवाल नहीं है। लेकिन, जैसा संविधानके आठव शेष्ठूलमें बताया गया है, एक दूसरी हिन्दी भी है। वहां अर्दू, बंगाली, अङ्गिया आदिका अल्लेख हुआ है। यिनमें से कोभी भी, और साथ ही वहां अल्लिखित हिन्दी भी, संघकी सरकारी भाषा — यद्यपि सेक्शन ३४३ में असका नाम हिन्दी दिया गया है — के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकती। और न यिन भाषाओंको आपसमें ही कोभी प्रतियोगिता करनी चाहिये। यिन सबको अपनी अपनी अन्नति करनी चाहिये, और साथ ही सबको मिलकर संघकी मान्य सरकारी भाषा हिन्दीका विकास और समृद्धि करनी चाहिये। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि, समग्रका स्थान असके एक अंश नहीं ले सकता। अन्तर प्रदेशमें जो भाषा-संबंधी विवाद चल रहा है, असमें यिस बातको ठीक ठीक न समझ सकनेके कारण बहुत अम पैदा हुआ है। मेरे पिछले लेख ‘सेवनक निर्णय’ (हरिजन-सेवक, १८-७-'५३) की कहीं-कहीं बहुत तीव्र आलोचना हुई है। अससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। यिन आलोचनाओं पर मैं यहां कोभी विचार नहीं करना चाहता; सिर्फ यितना ही कहता हूँ कि अनुका कारण भी बहुत अंशमें यही है कि शेष्ठूलमें यिन चौदह भाषाओंका अल्लेख हुआ है, सामान्यतः अनुके मुकाबलेमें और खासकर हिन्दी और अर्दूके मुकाबलेमें संघकी सरकारी भाषा हिन्दीकी क्या स्थिति है यिसकी सही परीक्षा नहीं हुई है।

२९-७-'५३  
(अंग्रेजी)

समाजभाषी वेसामी

## रांची जिले में विनोबाजी

नागफेनीमें विनोबाजी एक भविरमें ठहरे थे। शामका समय था। आरती समाप्त हो चुकी थी, परंतु घटानाद कानोंमें गूँज रहा था। मंदिरके सामने विनोबाजी टहल रहे थे। सहसा एक गरीब किसान अुनके पास पहुँचा और अुसने हाथ जोड़कर अुसे कहा, “बाबा, मैंने अपनी ३ अंकड़ जमीनमें से ४० डेसीमल जमीन दान कर दी है। तो अब मैं अुस दान दी हुई जमीनकी काश्त नहीं करूँगा। अुसका एक दाना भी लेना पाप है, क्योंकि वह तो दान कर दी गयी है।” विनोबाजीने अुसे समझाया कि देशकी जमीन यिस तरह पड़ती नहीं रहनी चाहिये, तुम्हें यिस पर काश्त करनी होगी। परंतु वह यिस चीजको नहीं स्वीकार कर पाता था। अुसने कहा, “आप चाहे जिसे वह जमीन दे दीजिये, परंतु मैं अुसका दाना भी नहीं ले सकता हूँ।” फिर विनोबाजीने अुससे कहा, “जब तक घटानार नहीं होता मेरी ओरसे तुम्हें वह जमीन जोता है।”

अुस दाताकी मनोवृत्ति भारतीय किसानकी प्रतिनिधिक मनोवृत्ति थी। यात्रामें ऐसे कभी किसे बने हैं। थोड़ी देर बाद विनोबाजी प्रगट चित्तनके जैसा बोलने लगे, “यह है हमारी जनताकी श्रद्धा। और यिस पर भी पढ़े-लिखे लोग मुझे कहते हैं कि आप ठगे जा रहे हैं। आपके हाथमें सिर्फ दान-पत्रके कागज ही रहनेवाले हैं। जमीन नहीं आनेवाली है।”

दूसरे दिन सांसकी जाते समय एक विद्यार्थीने शामकी घटनाका चिक्र करते हुए विनोबाजीसे कहा, “वह किसान दानकी बात कर रहा था। यिसका अर्थ यह कि वह समझ रहा था मैं दान दे रहा हूँ। अुसे तो यह समझना चाहिये था कि मैं गरीबोंका हक दे रहा हूँ।” विनोबाजी कुछ गंभीर स्वरमें कहने लगे, “आप लोग अुस भारतीय किसानकी भाषा नहीं समझ सकते। अपने मनमें सोचते भी हैं तो विदेशी भाषामें। आपकी हककी बात वह क्या जाने? हिन्दी भाषामें ‘हक’ के लिये ‘अधिकार’ शब्दका प्रयोग किया जाता है। परंतु अधिकारमें कर्तव्यकी भावना निहित है। भारतीय संस्कृति अधिकारकी बुनियाद पर खड़ी है। वह कहती है, तुम अपना कर्तव्य करते चले जाओ, तुम्हें अपना हक स्वाभाविक रूपसे हासिल होगा। और दानमें क्या बुरायी है? मेरी भाषा वह किसान ही आसानीसे समझ सकता है। वह मूँह है परंतु अुसकी भाषा मेरी बाणी द्वारा प्रगट हो रही है। आपकी हककी भाषा वह नहीं समझ सकता। क्योंकि अुसका मन भारतीय संस्कृतिकी गोदमें पनपा है। यजप्रकाशजी देहातियोंको किस भाषामें समझाते हैं, जरा देखो न। वे कहते हैं, “यिस चार दिनकी जिन्दीके लिये जितनी हाय-हाय काहको? अुसके बाद कितनी लंबी सफर तय करनी है, जरा अुसकी भी तो चिन्ता करो। वहां आपकी घरती-संपत्ति आपका साथ नहीं देती। वहां तो आपका कर्म ही आपका साथ देता।” चर्चा चलती रही। विद्यार्थीने कहा, “आप नैतिक दबावकी जो बात करते हैं, वह तो हमें पसन्द आती है। परंतु हृदय-परिवर्तनकी प्रक्रिया पर हमेशा विश्वास नहीं है। अुसके लिये हजारों साल भी लग सकते हैं।”

फिर शामकी प्रार्थना-सभामें विनोबाजीने हृदय-परिवर्तनके ही विषयका विवेचन किया। धर्म-चक्र-प्रवर्तनकी बात तो हम हमेशा सुनते आये हैं। परंतु अुस भाषणसे अुसका यथार्थ स्वरूप ध्यानमें आया। धर्मविचार और जमानेकी मांग जब दोनों जुड़ जाते हैं तब धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है।

भाषणका आरंभ नैतिक ताकतके विश्लेषणसे हुआ। विनोबाजीने कहा, “हम एक नैतिक ताकत पैदा करना चाहते हैं। हिन्दुस्तानने अपनी आजादी एक अनोखे ढंगसे हासिल की।

यिसलिये एक नैतिक ताकत निर्माण हुयी। आज भी हिन्दुस्तानमें कोई ताकत पैदा हो सकती है तो वह नैतिक ताकत ही है। हम सबको यह धर्म सिखाना चाहते हैं कि भूखे पड़ोसीकी चिन्ता करना हमारा कर्तव्य है। आसपासके लोगोंमें भूख, अज्ञान और बीमारी हो, तो जिनके पास धन, बुद्धि और शक्ति हैं ऐसे लोगोंको कभी सुख नहीं मालूम होना चाहिये। यिसीको हम हृदय-परिवर्तन कहते हैं।

“नैतिक दबाव और हृदय-परिवर्तनमें फर्क करना ही गलत है। विहारमें अब तक चालीस हजार लोगोंने दान दिया है। जमीन तो ज्यादा नहीं मिली, क्योंकि अुसमें बहुत सारे गरीब थे। परंतु अुसका प्रभाव अब बड़े लोगों पर हो रहा है। अुनके दिल अब पंसीज रहे हैं। एक भावना अुन पर हावी हो रही है, जिसको बेटाल नहीं सकते। और यिस जिलेमें तो एक राजा (पालकोटके) हमारे ओरेंट बनकर धूम रहे हैं। क्या यह हृदय-परिवर्तन नहीं है? परंतु हृदय-परिवर्तन हिसाबसे नहीं होता। एक मनुष्यका हृदय-परिवर्तन हुआ, तो आसपासके पचासों लोगों पर अुसका असर होता है। यहां पर एक ताना भगत पैदा हुआ, तो अुसने हजारोंको भक्त बनाया। यिसीको मनुष्यके विचारका दबाव कहते हैं। यिसीको लोकलज्जा कहते हैं। यह हिसाब सर्वत्सर भिन्न है। वेदमें कहा है — दान दिया जाता है वह लोकलज्जासे दिया जाता है। यिसलिये लोकलज्जा एक बड़ी बात है। सारा समाज क्या कहता है, यह देखकर कुछ करना हृदय-परिवर्तन ही है। हृदय-परिवर्तनकी डिग्री नापना ठीक नहीं है। यिसलिये हृदय-परिवर्तनकी हंसी मत करो।

“बाहरकी परिस्थितिसे हृदय-परिवर्तन होता है और हृदय-परिवर्तनका परिणाम बाहरकी परिस्थिति पर होता है। एक दूसरेका परिणाम एक दूसरे पर होता है। बीजसे फल होता है और फलसे बीज पैदा होता है। अगर किसी व्यक्तिका बुढापेमें लड़का मर गया और अुसमें वैराग्य निर्माण हुआ, तो क्या आप यह कहेंगे कि बुढापेके कारण और लड़केकी मृत्युके कारण वैराग्य निर्माण हुआ है; यिसलिये वह सच्चा नहीं है? हां, यह बात सही है कि जब वह जवान था और अुसका लड़का जिन्दा था, तब अुसमें आसक्ति थी। परंतु कभी लोग बूढ़े होते हैं और कभी लोगोंके लड़के मर जाते हैं, फिर भी वे वैरागी नहीं बनते। यिसका मतलब यह है कि अुसके हृदयमें पहलेसे ही कुछ भावना थी और फिर लड़केकी मृत्यु एक निमित्त बन जाती है। यिसलिये हरबेके मनुष्यके हृदयमें अच्छी भावना है, ऐसा विश्वास रखो। हमने हरबेको मत (बोट) का हक दिया है। यिसके मानी यही है कि हम मानते हैं हरबेके हृदयमें सद्भावना है।

“हम दो बाजूसे काम कर रहे हैं। (१) हम हरबेकके — गरीब-श्रीमान सबके — हृदयमें जो परमेश्वर है अुस पर भरोसा रखते हैं। (२) हम अैसी परिस्थिति निर्माण करना चाहते हैं, जिससे लोगोंमें अैसी जागृति पैदा हो, जिसमें लोगोंसे दान दिये बर्गीर नहीं रहा जाय। यिसमें लोगोंमें अैसी जागृति युनी हृदय-परिवर्तन और जन-जागृति, अैसी दोहरी जागृति हम करना चाहते हैं। केवल लोक-जागृति हुई और नैतिक जागृति नहीं हुई, तो परिणामस्वरूप हिसाबकी शक्ति पैदा हो सकती है। और केवल नैतिक जागृति हुई तो काम बननेमें बहुत समय लगेगा। यिसलिये हम दोहरा काम कर रहे हैं। जैसे पंछीके हों पंख होते हैं, एक पंखसे वह अुड़ नहीं सकता, वैसे ही धर्म-कार्य दो तरहसे होता है। अन्दरसे जागृति निर्माण करनेसे और परिस्थितिमें परिवर्तन करनेसे।

“सामान्य धर्मप्रचार और ऋन्ति या धर्म-चक्र-प्रवर्तन ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं हैं। सामान्य धर्म तो ऋषि और संत लोग हमेशा

समझाते रहते हैं। अिसलिये सर्वसामान्य धर्मप्रचार अेक बात है। और जमानेकी मांग क्या है, यह पहचान कर धर्मविचारको अुसके साथ जोड़ देना दूसरी बात है। गांधीजीने देशको अिसी तरीकेसे अर्हिसा सिखाओ है। प्रेमसे, अर्हिसासे लड़नेकी बात तो पुरानी ही थी। परंतु अुसे वे स्वराज्यके साथ नहीं जोड़ते, तो सिर्फ अुन्हें दस-बीस अनुयायी ही मिल पाते। अुस समय हम तलवारसे नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि निःशस्त्र थे और अंग्रेज लोग शस्त्रोंमें हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अिसलिये अर्हिसासे लड़ना आवश्यक ही था, परिस्थिति ही अुसके अनुकूल थी। अिस तरह आन्तरिक धर्मविचारका बल और परिस्थितिका बल — अिन दोनोंको जोड़कर अन्होंने देशको 'अर्हिसा सिखाओ ही और अुसीसे हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ। अुसी तरह आज गरीबोंको जमीनकी अत्यन्त आवश्यकता है। सिर्फ हिन्दुस्तानमें ही नहीं, सारे अंशियामें जमीनकी भूख है। गरीबोंको जमीन दिये बगैर वे शान्त नहीं रह सकते। अैसी परिस्थिति है। और अुसीके साथ हम लोगोंको यह धर्मविचार समझा रहे हैं कि भूखे पड़ोसीको जमीन देनी चाहिये। जमीन परमेश्वरकी देन है, अिसलिये अुस पर सबका समान अधिकार है। अगर यही विचार हम कुछ ५००-१००० साल पहले समझाते, तो लोग हमारी बात नहीं सुनते। अिसलिये यह बात भी जमानेकी मांगके साथ जोड़ देते हैं, तो सिर्फ मामूली धर्म-प्रचार नहीं होता है, बल्कि धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है। संत और ऋषि-मुनि मामूली धर्मप्रचार तो हमेशा करते रहते हैं, परंतु अुससे धर्म-चक्र-प्रवर्तन नहीं होता है। लेकिन जहां परिस्थितिके साथ धर्मभावना जुड़ जाती है, वहां वह लोगोंके दिलको छूती है। अुसीसे बड़ी शक्ति पैदा होती है। और अुससे धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है।"

सभामें श्रीतार्णव तो अपढ़ किसान थे। अिसलिये विनोबाजीने यही भाव सरल भाषामें समझा दिया:—

"अेक अैसा भौका होता है जब धर्म करनेकी प्रेरणा होती है। आज ग्रहणका दिन है और कोओ दान देनेकी बात समझाता है, तो वह कौरन मनको पकड़ लेती है। वैसे दान तो हर रोज करना चाहिये, लेकिन ग्रहणके दिन वह बात जल्द समझमें आती है, क्योंकि वह अेक सास भौका है। आज हमें लाखों अेकड़ जमीन मिल रही है। पहले तो अैसा कभी नहीं हुआ था। तो क्या अेकदम अितने सारे लोगोंके दिल धर्मभावनासे भर गये हैं? अैसा तो नहीं हो सकता। अिस दानमें धर्मकी भावना है। परंतु अुसके साथ परिस्थितिकी आवश्यकता, जमानेकी मांग और युग-धर्म भी है।"

"सबका हृदय-परिवर्तन तब होता है, जब जमानेकी मांग और धर्मकी भावना दोनों जुड़ जाते हैं। यह बिलकुल आंतरिक हृदय-परिवर्तन नहीं कहा जायगा, परन्तु कुछ हृदय-परिवर्तन जरूर है। अगर कोओ पूरे हृदय-परिवर्तनके साथ दान देता है, तो अुसे मोक्ष मिल ही जायगा। परंतु थोड़ी धर्मभावनासे देता है, तो हमारे आन्दोलनके लिये वह जरूरी नहीं है कि हर कोओ पूरी चित्त-शुद्धिसे ही दान दे। आज जमीन देना आवश्यक है, अिस बातको लोग समझ लें तो हमारे लिये अुतना ही बस है।"

"यह श्रीश्वरका काम है और वही मेरे जैसे तुच्छ औजारके जरिये अुसे कर रहा है। नहीं तो मेरे जैसे सामान्य मनुष्यके शब्दोंकी आज अितनी कीमत नहीं होती। परंतु वह जब चाहता है तो सब कुछ हो सकता है। लोग पूछते हैं कि यह काम असफल हुआ तो क्या होगा? लेकिन हम अिस तरह नहीं सोचते। यह काम विनोबाका नहीं है, परमेश्वरका है। अिसलिये यह असफल हुआ तो विनोबाकी फर्जीहत नहीं होगी, बल्कि परमेश्वरकी ही फर्जीहत होगी।"

निः० दै०

## खादी और गांवोंकी बेकारी

बम्बाडीके भूतपूर्व अर्थमंत्री और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके अध्यक्ष श्री वैकुण्ठलाल मेहताने बेकारीके सवाल पर अेक निवेदन जाहिर करते हुये कहा कि "गांवोंकी बेकारी दूर करनेके लिये खादीका पुनरुद्धार ही अेकमात्र अपाय है।"

श्री मेहता कहते हैं, "बहुतेरे देशमें सामाजिक सुरक्षाकी योजनायें चल रही हैं, जो नागरिकोंको बेकारीके खिलाफ संरक्षण प्रदान करती हैं। हमारे देशमें जब अैसी योजनाओंकी तजवीज की जाती है, तो हम लोग बड़े-बड़े अद्योगिमें काम करनेवाले अद्योगिक मजदूरोंके ही विषयमें सोचते हैं। लेकिन हमारे यहां अैसे अद्योगिक मजदूरोंकी संख्या अपेक्षाकृत कम है, शारीरिक मेहनत करनेवाले हमारे ज्यादा मजदूर तो खेतीके अद्योगमें लगे हुये हैं; और अनुके तथा अनुके परिवारोंके लिये अपर्याप्त और आंशिक काम-धर्वेका सवाल कभी-कभीका नहीं, बल्कि हमेशा का है। मजदूरोंके अेक हिस्सेके लिये तो सामाजिक सुरक्षा बनायी जाय और दूसरे हिस्सेके लिये न बनायी जाय, यह अेक अनुचित मेंदभाव होगा, और यह हमारी समग्र राष्ट्रकी अनुचित करनेकी नीतिके भी खिलाफ होगा। लेकिन देहातोंमें बेकारीके खिलाफ संरक्षणकी व्यवस्था करना बहुत बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी स्वीकार करना है; वह सचमुच अितनी बड़ी जिम्मेदारी ही जाती है कि केन्द्र अथवा राज्यकी सरकारें व्यवहारमें अुसे अुठा ही नहीं सकतीं।"

"लेकिन साथ ही लाखों-करोड़ों आदमियोंको — कुछको साल भर और वाकी कुछको बड़े अरसे तक — बेकार रहने देना आर्थिक दृष्टिसे बहुत गलत है। दूसरी दृष्टियोंसे भी अुसमें अनेक दोष हैं, पर अभी हम अनुका विचार नहीं करेंगे। अैसे लोगोंको राहत पहुंचानेके लिये 'निर्वाह-खर्च' (डोल) की व्यवस्था करतेकी बात सोची जा सकती है। लेकिन अेक तो अितने ज्यादा आदमियोंके लिये 'डोल' देना हमारे यहां व्यवहार्य नहीं है और व्यवहार्य हो भी तो वह समाजके हितकी दृष्टिसे अनुचित है। तो, जैसा महात्मा गांधी दावा करते थे, अिस परिस्थितिका खादी ही अेकमात्र विलाज है।"

## हाथ-करघेका कषड़ा

"यद्यपि खादीका अुत्पादन बढ़ानेसे ज्यादातर काम हाथ-कताअी करनेवालोंको ही मिलेगा, जो कि अुसे पुरंसतके समयके पूरक कामकी तरह करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अुससे बुनाओी करनेवाले या बुनाओी करनेवाले लोगोंको भी काम मिलेगा और अिन लोगोंको अुसमें पूरा काम मिलता है।"

"हाथ-करघा अद्योगकी हमेशा यह शिकायत रही है कि अुसे पूरा सूत नहीं मिलता और फलतः अुसकी अुत्पादनकी क्षमता कामके अंभावमें बेकार पड़ी रहती है। हाथ-करघेके बुनकरोंको पूरे माहका काम शायद ही मिलता हो। हाथ-करघे के सूतका अुत्पादन बढ़ानेसे हाथ-करघेके बुनकरोंको ज्यादा काम मिलेगा और तब अुन्हें तथा अिस अद्योगसे संबद्ध दूसरे कारीगरोंको कामकी कमी नहीं रहेगी।"

खादीके लिये राज्यके संरक्षणकी मांग करते हुये श्री मेहता कहते हैं, "अिससे ही सकता है कि मिल तथा खादीके कपड़ोंकी कीमतोंमें आज जो बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है, वह कम हो जाय और खादी-अद्योगका भज्बूत पाये पर अैसा नया संघटन किया जा सके कि राष्ट्रीय योजनामें अुसे जो कार्य दिया गया है, अुसे वह योग्यतापूर्वक पूरा कर सके। स्टैन्डर्ड किस्मोंकी खादीका टिकाऊपन अुसी किस्मके सिलके कपड़ोंसे किसी तरह कम नहीं होता, तब भी खादी और ग्रामोद्योग खोई अुसके अुत्पादनका स्तर और ज्यादा अूपर अुठानेकी कोशिश करेगा। अुत्पादन बढ़ानेसे कीमतें घटाओ-

जा सकनेकी आशा कर सकते हैं। कपास खरीदने और अत्पन्न खादी बाजारमें बेचनेके कार्यमें ज्यादा सावधानी तथा अधिक सुविधापूर्ण अपायोंका अवलम्बन करनेसे भी कीमतें घटानेमें मदद होगी। लेकिन कीमतें घटानेका मुख्य अपाय तो अत्पादनकी सुधरी हुबी विधियोंका अर्थात् ज्यादा कार्यक्षम औजारों और अत्पादनके बहेतर तरीकोंका प्रयोग ही हो सकता है। महत्वा गांधी अखिल भारत चरखा-संघसे खादी-कामके यिसी पहलूका अनुसंधान करनेकी अपेक्षा करते थे और खादी-बोर्ड भी आरंभसे यिसी पहलू पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है।

“खादी और ग्रामोद्योगोंकी अनुनतिका मुख्य आर्थिक औचित्य तो वही है, जिसे दृष्टिमें रखकर योजना-कमीशनने अपनी रिपोर्टमें जगह-जगह राष्ट्रीय अर्थ-रचनामें ग्रामोद्योगोंकी अनिवार्यता स्त्रीकार की है। असने ग्राम-विकासके कार्यक्रममें ग्रामोद्योगोंको अनुने ही महत्वका स्थान दिया है, जितना कि खेतीके अत्पादनकी नयी रचनाको। कमीशन विविध ग्रामोद्योगोंको गांवोंकी पुनर्रचनाका आवश्यक अंग मानता है, कारण अके तो विशेष पूँजी लगाये बिना ही अनुमें साधारण अपायोगोंका वस्तुओंका अत्पादन होता है, दूसरे अनुसे हमारे गांवोंमें खेती-काममें लगे हुए औसे मजदूरोंको, जिन्हें या तो पूरा काम नहीं मिलता या जिन्हें बेकार ही रहना पड़ता है, गांवोंमें ही काम-धंधा मिलनेकी व्यवस्था हो जाती है।

“केन्द्र और राज्यकी सरकारें तथा साधारण जनता अस महत्वके काममें यिन गृह-अद्योगोंकी ही वस्तुओंसे खरीदकर — चाहे असमें अन्हें कुछ ज्यादा दाम देने पड़ें — बहुत मदद पहुंचा सकते हैं।

[ता० २१-७-'५३ के 'हिन्दू' से]  
(अंग्रेजीसे)

### टिप्पणियां

#### एक सादा सवाल

प्रेसिडेन्ट आयिसनहोवरका लड़का भेजर जॉन आयिसन-होवर जुलाई १९५२ से कोरियामें लड़ाकीके मोर्चे पर था। असे हर किसी पिताकी तरह, जिसका पुत्र कोरियामें लड़ाकीके मोर्चे पर काम कर रहा था, प्रेसिडेन्ट आयिसनहोवरको भी युद्ध-विरामके समझौते पर दस्तखत होनेकी अविकृत सूचना पाकर बड़ी राहत मिली और खुशी हुबी। अन्होने कहा, “युद्ध-विरामके समझौते पर दस्तखत हो गये।... मैं आशा करता हूँ कि मेरा लड़का जलदी ही घर लौट आवेगा।”

बेशक हरअेक पिता और माताको, भावियों और बहनोंको और सभीको अपने प्रियजनोंके घर लौट आनेसे आनन्द होगा। लेकिन वे यितना ही पूछते हैं : आखिर हमारे प्रियजनोंके हमसे दूर जानेकी और वहां दूसरे किसीके प्रियजनोंको — प्रिय पुत्र, भावी, बहन या पति वर्गोंको — मारनेकी और शायद अस लड़ाकीमें, जिसे अन्तिम नहीं कहा जा सकता, मारे जानेकी जरूरत क्यों पैदा होनी चाहिये? प्रेसिडेन्ट आयिसनहोवरके जैसे पिताओंको और अनुके जैसे दूसरे लोगोंको, जिनके हाथमें लाखों-करोड़ों मानवोंका भाग्य है, पीड़ित मानवताके यिस सावे प्रबन्धका अन्तर देना है।

३०-७-'५३  
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

#### खादी-बोर्ड द्वारा आर्थिक मददकी घोषणा

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके प्रमाणित संस्थाओंको खादी और खादी-अत्पादनके औजारोंकी विक्री पर वस्त्र-स्वावलम्बनकी खादीके बुनाई-खर्च पर और व्यवस्था-खर्च पर नीचे लिखे सुनाविक आर्थिक मदद देनेकी घोषणा की है :

१. खादी-विक्रीके लिए अके रुपये पर ३ आनेकी मदद;
२. वस्त्र-स्वावलम्बनकी अके वर्गगज खादीके बुनाई-खर्च पर ५ आने प्रति वर्गगज या ५० प्रतिशत (जो भी कम हो) मदद;

३. वस्त्र-स्वावलम्बन-योजनाकी व्यवस्थाके लिए प्रमाणित संस्थाओं द्वारा बुनी गवी अके वर्गगज खादीके पीछे २ आनेकी मदद;

४. प्रमाणित संस्थाओंको रु० २००० तकके खादी-अत्पादन और यितनी ही रकम तककी फुटकर बिक्री पर ६५ प्रतिशत मदद दी जायगी।

५. मान्य किये हुए किसके हर बुनाई मोडिया पर (अके नये प्रकारकी धुनकी, जिसकी कीमत ३५ से ४० रुपयेके करीब होती है) रु० १५ की रिआयत दी जायगी।

६. किसी भी नमूनेके हर चरखे पर (बासके चरखेको छोड़कर) रु० २-८-० की मदद;

७. अपने संहायक सरजामके साथ पूर्ण हर करघे पर रु० ५० की मदद दी जायगी।

८. ६ और ७ के संबंधमें अन्हीं औजारों पर मदद दी जायगी, जो प्रमाणित कारखानोंमें बने होंगे। प्रमाणित केन्द्रों और भंडारोंको बताई हुबी रिआयतके साथ आहूकोंको औजार बेचनेका अधिकार दिया जाता है। यिस रिआयतकी भरपाई अन्हें अनुके दोहरे बिलों और पाकिंग बिक्री-रिपोर्टोंकी जांचके बाद कर दी जायगी। अपरकी मदद तुरन्त देना शुरू कर दी जायगी।

बी० पी० सबनीस

दफ्तर-मंत्री

ब० भा० खा० या० बोर्ड

#### विवेक और साधना

लेखक : केवारनाथ

संपादक

किशोरलाल भश्यकलाल मोदी

कीमत ४-०-०

आकास्थ १-२-०

दापूके पत्र—२

#### सरदार वल्लभभाईके नाम

संपादिका : मणिबहन पटेल

कीमत ३-८-०

आकास्थ १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

#### विषय-सूची

हिन्दी-अर्दूका सवाल	पृष्ठ
निकम्मा क्षिक्षण	१७७
भारतकी गृहनीतिका क्या?	१७७
क्या यह टाला नहीं जा सकता था?	१७८
“कोकी नहीं है गैर बाबा”	१७९
बुत्तर प्रदेशका भाषा-संबंधी विवाद	१८०
रांची जिलेमें विनोबाजी	१८१
खादी और गांवोंकी बेकारी	१८२
टिप्पणियां :	१८३
गरीबोंका सवाल करो	१८३
एक सादा सवाल	१८३
खादी-बोर्ड द्वारा आर्थिक मददकी घोषणा	१८४
घोषणा	१८४
बी० पी० सबनीस १८४	